



कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

वन धन भवन, सेक्टर 24 नवा रायपुर अटल नगर जिला – रायपुर

दूरभाष: (0771) 2513100 से 2513110

E-mail : mfpfed.cg@nic.in

Website : www.cgmpfed.org

GST No. 22AABAC5137E2ZC

संशोधन क्रमांक - 03 दिनांक 21-07-2026

वर्ष 2024 एवं 2025 सीजन के क्रेता करारनामा समाप्त तेन्दू पत्ता लाटों के विक्रय हेतु ई-निविदा दिनांक 13.07.2026 से 16.07.2026 की अधिसूचना क्रमांक ते.प. 2026-II दिनांक 12.06.2026 के अनुसूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

उक्त निविदा से 2025 के क्रेता करारनामा समाप्त निम्न लॉटों को विलोपित किया जाता है।

संग्रहण वर्ष	लॉट क्रमांक	मुद्रित प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि	भाषा
1	2	3	4	5
2025	98	01 से 08	विलोपित	हिन्दी

ई-निविदा, ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण का समय एवं निविदा खुलने का समय, सत्यंकार की राशि, पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज पूर्व प्रकाशित निविदा अधिसूचना के अनुसार ही यथावत् रहेंगी।

(प्रारूप प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by

SANJEETA GUPTA

Date: 21-07-2026

16:14:50

(संजीता गुप्ता)

कार्यकारी संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

पृ. क्रमांक/MFP02/T.P./2026/013/616595/2026

रायपुर, दिनांक 21/07/2026

प्रतिलिपि:-

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक, (छत्तीसगढ़)। उक्त संशोधन संघ के वेबसाईट www.cgmpfed.org में अपलोड की गई है। संशोधन की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें। कृपया अपने अधीनस्थ प्रबंध संचालक, जिला यूनियनों को भी निर्देशित करें कि वेबसाईट से संशोधन की प्रति डाउनलोड कर कार्यालय उपयोग हेतु प्राप्त करें।
2. समस्त प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्या. छत्तीसगढ़।
3. **e-Procurement Technologies Limited (abcprocure)**, A 201/208, Wall street-II, Opp. Orient Club, Nr. Gujrat College, Ellis Bridge, AHMEDABAD – 380 006 Gujrat (India)
4. **The Regional Head**, ICICI Bank Ltd, Satpal Chamvers, Civil Line, Raipur, Chhattishgarh.
5. प्रोग्रामर, संघ मुख्यालय, नया रायपुर।
6. कम्प्यूटर कक्ष, संघ मुख्यालय रायपुर, संघ के वेबसाईट पर अपलोड करें।

(सही/-)

कार्यकारी संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

D:\Parveen\Tender conditions\Tendupatta Terminate 2024-25\Ammendment 01